न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रमेश कुमार बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.न. 37/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
05.02.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गयी। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 05/02/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
37 / 2021	2021 / 077	15.03.2021	05.02.2024

उनवान प्रकरण

रमेश कुमार सामोता पुत्र सुवालाल सामोता जाति जाट उम्र 44 साल निवासी ग्राम जयरामपुरा (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर हाल तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0

–– वादी––

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थितः–

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

दावा बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

:: निर्णय ::

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:02 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि तन ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5 कुल किता–8 कुल रकबा 6.0100 हैक्टर में 1/16 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम सरदारसिंह पुत्र सुवालाल दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम रमेश कुमार सामोता पुत्र सुवालाल सामोता है। वादी का वास्तविक नाम रमेश कुमार सामोता पुत्र सुवालाल सामोता ही है तथा वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, पास पोर्ट, बैंक पास बुक आदि मे वादी का नाम रमेश कुमार सामोता पुत्र सुवालाल सामोता ही है परन्तु कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम सरदारसिंह पुत्र सुवालाल अंकित हो गया जो वादी को घर पर बोलते नाम सरदार के नाम से पुकारने के कारण सरदारसिंह लिखा दिया गया जिसके कारण वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी होती है। इसलिए वादी का नाम कृषि भूमि की खातेदारी में सरदारसिंह के स्थान पर रमेश कुमार सामोता घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। वादी ने पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से उक्त सही नाम व दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो अदालत मे दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादपत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वादपत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि तन ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5 कुल किता–8 कुल रकबा 6.0100 हैक्अर में 1/16 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम सरदारसिंह पुत्र सुवालाल के स्थान पर रमेश कुमार सामोता पुत्र सुवालाल सामोता घोषित किया जाकर [illegible]रूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती करने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को [illegible] प्रदान किया जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

वादी द्वारा प्र[illegible] रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी [illegible] जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण [illegible] किये जाने के आदेश दिये गये। साक्ष्य वादी में वादी रमेश [illegible] सामोता का मुख्य परीक्षण में एंव वादी साक्ष्य गवाहान् में गणेशराम पुत्र मूंगाराम व [illegible]न्द चौधरी पुत्र गोपालसिंह के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2174/भू.अ./2022 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा साक्ष्य वादी में वादी रमेश कुमार सामोता पुत्र सुवालाल सामोता व गवाहान् के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 आधार कार्ड, पैन कार्ड, पास पोर्ट, बैंक पासबुक, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट की प्रति, साक्ष्य वादी में साक्ष्य वादी व गवाहान् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2, 3, 4, 5, 16 से 19 कुल किता 8 कुल रकबा 6.01 हैक्टर में वादी का नाम सरदारसिंह पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/16 जाति जाट सा चक किशनुपरा खातेदार दर्ज रिकार्ड है एंव वादी का नाम अन्य दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस में रमेश कुमार पुत्र सुवालाल दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उपस्थित मौतबीरान के बताये अनुसार ये दोनों नाम सरदारसिंह पुत्र सुवालाल और रमेश कुमार पुत्र सुवालाल एक ही व्यक्ति के है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी मौका जॉच रिपोट में सरदारसिंह पुत्र सुवालाल के स्थान पर रमेश कुमार पुत्र सुवालाल शुद्ध किये जाने की अभिषंसा की गई है। साक्ष्य वादी में वादी रमेश कुमार का मुख्य [illegible] गवाहान् में प्रस्तुत लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादी के वादपत्र में अंकित [illegible] होती है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व प्रस्तुत [illegible] व साक्ष्यों के आधार पर वादी का नाम सरदारसिंह पुत्र सुवालाल के स्थान पर रमेश कुमार सामोता पुत्र सुवालाल सामोता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

05/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5 कुल किता–8 कुल रकबा 6.0100 हैक्टर में 1/16 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम सरदारसिंह पुत्र सुवालाल के स्थान पर रमेश कुमार सामोता पुत्र सुवालाल सामोता घोषित किया जाकर दुरूस्त कर वादी को उक्त भूमियों का हिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Rathore 05/02/24

(दिलीप सिंह)
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:02 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
(दिलीप सिंह)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)